भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 856

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2026

मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना

856. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति का यूनिट रेट 2008 से संशोधित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो बढ़ती ट्यूशन फीस और जीवनयापन खर्चों के बावजूद दरों को न बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ग) अपर्याप्त छात्रवृत्ति राशि के कारण लाभार्थियों में कमी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि छात्रवृत्ति के लिए आवंटित निधियों में एक महत्वपूर्ण राशि अप्रयुक्त रह गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए अप्रयुक्त निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब एवं मेधावी छात्रों को अधिक सहायता प्रदान करने हेतु मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति की समीक्षा करने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हाँ, तो ऐसी संशोधन एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत सूचीबद्ध संस्थानों के लिए पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, जो छात्र सूचीबद्ध संस्थानों की श्रेणी में शामिल नहीं थे, उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में 20,000/- रुपए और होस्टलों में रहने वाले छात्रों के लिए 10,000/- रुपए रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता था।

(ग) से (ङ): इस योजना को वर्ष 2021-22 के बाद कार्यान्वित करने का अनुमोदन नहीं दिया गया था।

(च) और (छ): इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****